

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राज—पत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	वैशाख 7, सोमवार, शाके 1937—अप्रैल 27, 2015 <i>Vaisakha 7, Monday, Saka 1937—April 27, 2015</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप-2)**

अधिसूचना

**जयपुर, अप्रैल 27, 2015**

**संख्या प. 2 (38) विधि/2/2014:**—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

**महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) अधिनियम, 2015**

**(2015 का अधिनियम संख्यांक 18)**

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई]

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 2 का संशोधन.-** महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 8), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात्

और विद्यमान खण्ड (ख) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) "संबद्ध महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय या संस्थान, जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों, अभिप्रेत है;"

**3. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 4 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

- (i) विद्यमान उप-धारा (3) हटायी जायेगी;
- (ii) विद्यमान उप-धारा (4) को उप-धारा (3) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा; और
- (iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(4) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा,-

- (क) विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी संस्थान या महाविद्यालय से, विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से अपनी संबद्धता या अपने विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या
- (ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम द्वारा गठित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से, ऐसी सीमा तक,

जो आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।"।

**4. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 7 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 7 में विद्यमान खण्ड (ड) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (च) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(डड) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न किये गये महाविद्यालयों और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना, और ऐसे विशेषाधिकारों में से समस्त या किसी विशेषाधिकार को वापस लेना;"।

**5. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 12 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) में विद्यमान खण्ड (x) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xi) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(x-क) विद्या परिषद् की सिफारिश पर महाविद्यालयों या संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना या ऐसी संबद्धता को वापस लेना;"।

**6. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 38 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 38 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (11) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (12) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(11-क) महाविद्यालयों या संस्थानों की सम्बद्धता की और ऐसी सम्बद्धता को वापस लेने की प्रक्रिया तथा निबंधन और शर्तें, और सम्बद्धता की फीस के निबंधन तथा शर्तें;" ; और

(ii) खण्ड (12) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुरक्षित" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "महाविद्यालय/केन्द्रों" के पूर्व "घटक" शब्द अन्तःस्थापित किया जायेगा।

दीपक माहेश्वरी,

प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)  
NOTIFICATION**

**Jaipur, April 27, 2015**

**No. F. 2 (38) Vidhi/2/2014.**-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of the Maharana Pratap Krishi aur Praudyogiki Vishwavidyalaya Udaipur (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 18):-

**(Authorised English Translation)  
THE MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF  
AGRICULTURE AND TECHNOLOGY UDAIPUR  
(AMENDMENT) ACT, 2015  
(Act No. 18 of 2015)**

[Received the assent of the Governor on the 24<sup>th</sup> day of April, 2015]

*An*

*Act*

*further to amend the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.**- (1) This Act may be called the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 8 of 2000.**- In section 2 of the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000 (Act No. 8 of 2000), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing clause (a) and before the existing clause (b), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(aa) "affiliated college" means a college or institute admitted to the privileges of the University;”.

**3. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 8 of****2000.-** In section 4 of the principal Act,-

- (i) the existing sub-section (3) shall be deleted;
- (ii) the existing sub-section (4) shall be renumbered as sub-section (3); and
- (iii) after the sub-section (3) so renumbered, the following new sub-section shall be added, namely:-

“(4) The State Government may, by order in writing-

- (a) require any institute or college within the territorial limits of the University to terminate, with effect from such date as may be specified in the order, its association with, or its admission to the privileges of any other university incorporated by law to such extent as may be considered necessary and proper; or
- (b) exclude, to such extent as may be considered necessary and proper, from association with, or from admission to the privileges of the University constituted by this Act any institute or college specified in the order which, in the opinion of the State Government, is required to be self governing or to be associated with or admitted to the privileges of, any other university or body.”.

**4. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 8 of****2000.-** In section 7 of the principal Act, after the existing clause (e) and before the existing clause (f), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(ee) to admit colleges and institutes, not maintained by the University, to the privileges of the University, and to withdraw all or any of such privileges;”.

**5. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 8 of****2000.-** In sub-section (2) of section 12 of the principal Act, after

the existing clause (x) and before the existing clause (xi), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(x-a) to grant affiliation to colleges or institutes on the recommendation of the Academic Council or withdraw such affiliation;”.

**6. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 8 of 2000.-** In section 38 of the principal Act,-

(i) after the existing clause (11) and before the existing clause (12), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(11-a) procedure and terms and conditions of affiliation and of withdrawal of such affiliation, and terms and conditions of fees for affiliation, to colleges or institutes;”; and

(ii) in clause (12), after the existing expression “management of” and before the existing expression “Colleges/Centres”, the word “constituent” shall be inserted.

दीपक माहेश्वरी,  
**Principal Secretary to the Government.**

---

6  
**Government Central Press, Jaipur.**